पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 367/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादिनी मीनू राय पत्नी अनिरुद्ध राय साकिन गोधपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 24.11.2024 समय करीब 3.30 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी राहुल उर्फ पवन राय पुत्र हरिकुंवर राय, व 5-6 लोग अत्रात लोगों द्वारा वादिनी के पति अनिरुद्ध राय को सदर हास्पिटल आजमगढ के इमरजेंसी गेट के सामने लगे CCTV कैमरा के नीचे पकड़ कर मां बहन की गाली देते हुए लोहे की राड व लात मुक्का से मारने पीटने लगे। राड की चोट सिर पर लगने से मेरे पति अनिरुद्ध राय का सिर फट गया और वे मौके पर ही बेहोश हो गये। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 637/24 धारा 115(2),352,110,3(5) बीएनएस दि. 24.11.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 04.12.24 उ0नि0 अतीक अहमद मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पवन राय उर्फ राहुल राय पुत्र हरिकुवर राय नि. सा. गोधरपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को समय 06.30 बजे रोडवेज से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना- महराजगंज जनपद आजमगढ़: महिला से मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत करान है कि दिनांक 03.12.24 को वादी मुकदमा रामदीन मौर्य s/o स्व. कोमल मौर्य निवासी ग्राम-मेउड़िया थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ द्वारा थाना महाराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी 1. राधेश्याम मौर्य पुत्र स्व0 बेलास मौर्य उम्र करीब 52 वर्ष 2.श्रीराम मौर्य पुत्र स्व0 बेलास मौर्य उम्र करीब 56 वर्ष 3.दिलीप पुत्र श्रीराम मौर्य उम्र करीब 26 वर्ष 4. संदीप पुत्र श्रीराम मौर्य उम्र करीब 28 वर्ष 5. रामकरन मौर्य पुत्र श्रीराम मौर्य उम्र करीब 32 वर्ष 6. नागेन्द्र उर्फ दिनेश मौर्य पुत्र साहब उम्र करीब 48 वर्ष समस्त निवासी मेउड़िया थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की पत्नी को गाली गुप्ता देते हुए एक राय होकर मारा पीटा जिससे आवेदक की पत्नी के बेहोश हो गयी तथा आवेदक की बाउड्री तोड़ देना व जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 457/24 धारा 3(5),109/115(2)/351(2)/352/324(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री अकीक अहमद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी की विवरण –

उ0नि0 अकीक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामकरन मौर्य पुत्र श्रीराम मौर्य व दिलीप पुत्र श्रीराम मौर्य को उसके घर से समय करीब 08.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त दिलीप पुत्र श्रीराम मौर्य सा0 मेउड़िया थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

1.मु0अ0सं0 457/24 धारा 3(5),109/115(2)/351(2)/352/324(4) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0 453/2024 धारा 352/351(2)/324(4) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 323/22 धारा 147/323/504/506/352/452 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
4.मु0अ0सं0 350/24 धारा 324(4)/351(2)/352 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 अकीक अहमद मय हमराह का0 सत्येन्द्र प्रजापति

03.थाना - अहरौला,आजमगढ़: शादी का झांसा देकर यौन संबन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व विवरण-

दिनांक 28/11/2024 को वादिनी मुकदमा उम्र करीब 17 वर्ष के द्वारा थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी विवेक यादव पुत्र अज्ञात द्वारा वादिनी उम्र करीब 17 वर्ष को शादी का प्रलोभन देकर करीब 05 साल से मिलते-जुलते व शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 491/2024 धारा 69 बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट बनाम विवेक यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.11.2024 थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को मड़ना पुलिया से समय करीब 11.30 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री मनीष पाल, का0 प्रवीण कुमार यादव, का0 प्रदीप कुमार यादव व म0का0 वन्दना सिंह थाना अहरौला आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश पुलिस